

ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति
(राड्स) रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल



Annual - Report
Year-2013-2014

पता:— पोस्ट बैग नम्बर—06, रानीचौरी
टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड ।

दूरभाष :— **01376-252229(0)252404**

Email-radsgramin@yahoo.co.in

—: संस्था परिचय :—

ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति की स्थापना सन् 1996 में महिलाओं के सशक्तिकरण उत्थान, हरिजनों के हित में सरकार द्वारा पारित नये कानूनों की जानकारी देने तथा उनके हितों की रक्षा करने, पारिवारिक न्यायालयों के बारे में जानकारी देने निराश्रितों वृद्धों के लिए वृद्ध निवासों का निर्माण करने, पर्वतीय क्षेत्र की संस्कृति कला इतिहास का संवर्धन तथा विकास करने तथा ग्रामीणों से कच्चा माल लेकर उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार के साधन जुटाने तथा स्वास्थ्य प्रारम्भिक शिक्षा एवं स्वच्छता तथा विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से की गई। तथा संस्था द्वारा अपने स्रोतों से 1997 से 1998 में 10 ग्रामों में बॉलवाडी केन्द्रों की स्थापना की गई, तथा संस्था द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम चलाये गये संस्था द्वारा 1998 से 1999 में 10 स्वयं सहायता समूह का गठन करके बैंक से लिंकेज करवाया गया। 1999 से 2000 में बीस ग्रामों में बॉलवाडी कार्यक्रम चलाये गये, विकलांगता उन्मूलन कार्यक्रम चलाये गये तथा 40 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें बैंक से लिंकेज करवाया गया। तथा स्वच्छता कार्यक्रम चलाये गये।

संस्था द्वारा 1996 से 2000 तक जो भी कार्यक्रम चलाये गये वह अपने स्रोतों से चलाये गये तथा उसके पश्चात आवश्यकता महसूस होने पर सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत 1999 में संस्था का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात 2000-2001 में यूनिसेफ योजना के अंतर्गत संस्था द्वारा विभिन्न गांवों में 100 वरसाती टैंकों व 500 सस्ते शौचालयों का निर्माण किया गया संस्था के पास अनुभवी कार्यकर्ता हैं इसी उद्देश्यों से संस्था द्वारा महिलाओं के उत्थान व उनके सशक्तिकरण हेतु स्व शक्ति, इन्दिरा महिला विकास परियोजना, आजीविका परियोजना आदि में कार्य किया गया, साथ ही किशोरियों को जीवन कौशल, स्वास्थ्य व बेहतर शिक्षा हेतु किशोरी उत्थान परियोजना में कार्य किया गया व वर्तमान में महिला पुरुष अनुपात में निरंतर गिरावट, जो कि भविष्य में और भी असंतुलन कायम कर सकता है उसके लिए, प्लान इन्डिया व श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के सहयोग से समाज को जागरूकता करने हेतु कन्या भूण हत्या निवारण परियोजना कोपल चलाई गई। साथ ही महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने व उन्हें आजीविका से जोड़ने हेतु टिहरी के ब्लॉक प्रतापनगर में आजीविका परियोजना चलाई जा रही है। संस्था के द्वारा सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण कार्य किये गये हैं। संस्था द्वारा सन् 2013-14 में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जो कार्य किये गये उनका विवरण निम्न प्रकार है।

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा 2013-14 में चलाई गई
परियोजनायें व कार्यक्रम

- 1- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय ।
- 2- मुर्गी पालन परियोजना ।
- 3- कुबेर परियोजना (बकरी पालन)।
- 4- जिला विकलांग एवं पुर्नवास केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम ।
- 5- विकलांगों हेतु एडिप परियोजना ।
- 6- सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम ।
- 7- राड्स प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन ।
- 8- स्वजल परियोजना सेक्टर कार्यक्रम ।
- 9- पर्वतीय बाल मंच कार्यक्रम ।
- 10- ग्रामीण निर्मित केन्द्र ।
- 11- विकलांग कैम्प ।
- 12- महिला हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या कार्यक्रम ।
- 13- विकलांग विश्राम गृह ।
- 14- उत्तराखण्ड के विभिन्न ग्रामों मे महिला मंगल दलों का गठन ।
- 15- नावार्ड परियोजना (JLGs)
- 16- पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति के माध्यम से वर्ष 2011 से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र Advance Institute of Computer Education (AICE) कोड –15008 चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

1. मास्टर आफ सोशल वर्क (MSW)
2. मास्टर आफ आर्ट्स (M.A.)- अर्थशास्त्र,अग्रजी,हिन्दी,इतिहास,राजनीति शास्त्र,लोक प्रशासन,समाजशास्त्र,सस्कृत
3. एम0 ए0 शिक्षाशास्त्र (Education)
4. बैचलर आफ आर्ट्स (B.A)
5. बैचलर आफ कार्मस (B.Com)
6. मास्टर आफ कार्मस (M.Com)s
7. पी0जी0 डिप्लोमा इन आपदा प्रबन्धन (डिजास्टर मैनेजमेन्ट) (PGDDM)
8. पी0जी0 डिप्लोमा इन जनसंचार एवं पत्रकारिता (PGDJMC)
9. पी0जी0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन (PGDCA)
10. कला में स्नातक हेतु अर्हता पाठ्यक्रम (BAPP)
11. वाणिज्य में स्नातक हेतु अर्हता पाठ्यक्रम (BCPP)
12. मास्टर आफ मास कम्युनिकेशन (MAMC)
- 13.सर्टिफिकेट इन मास मीडिया(CMM)

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश विवरण निम्नलिखित प्रकार है।

2-वर्ष 2012-13 के लिए (winter Session)

क्रम0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	विद्यार्थियों की सं0	वर्ष / सेमेस्टर
1.	मास्टर आफ सोशल वर्क (MSW)	4	द्वितीय सेमेस्टर
2.	मास्टर आफ मास कम्युनिकेशन (MAMC)	5	चतुर्थ सेमेस्टर
3.	कला में स्नातक हेतु अर्हता पाठ्यक्रम (BAPP)	2	6माह
	कुल विद्यार्थी	11	

1-वर्ष 2012-13 के लिए (summer Session)

क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	विद्यार्थियों की सं०	वर्ष / सेमेस्टर
1.	मास्टर आफ सोशल वर्क (MSW)	4	प्रथम सेमेस्टर
2.	मास्टर आफ मास कम्युनिकेशन (MAMC)	2	तृतीय सेमेस्टर
3.	मास्टर आफ मास कम्युनिकेशन (MAMC)	2	चतुर्थ सेमेस्टर
4.	सर्टिफिकेट इन मास मीडिया(CMM)	1	6 माह
5.	कला में स्नातक हेतु अर्हता पाठ्यक्रम (BAPP)	5	6माह
6.	पी०जी० डिप्लोमा इन जनसंचार एवं पत्रकारिता (PGDJMC)	1	द्वितीय सेमेस्टर
7.	एम०ए० हिन्दी	1	द्वितीय वर्ष
8.	एम०ए० शिक्षाशास्त्र	3	द्वितीय वर्ष
9.	एम०ए० समाजशास्त्र	2	प्रथम वर्ष
10.	एम० ए० अर्थशास्त्र	1	प्रथम वर्ष
11.	एम०ए० अंग्रेजी	4	प्रथम वर्ष
12.	एम०ए० संस्कृत	1	प्रथम वर्ष
13.	एम०ए० संस्कृत	1	द्वितीय वर्ष
14.	बी०ए०	11	द्वितीय वर्ष
15.	बी०ए०एस०	3	प्रथम वर्ष
	कुल विद्यार्थी	47	

2-वर्ष 2013-14 के लिए (Winter Session)

क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	विद्यार्थियों की सं०	वर्ष / सेमेस्टर
1.	मास्टर आफ सोशल वर्क (MSW)	4	तृतीय सेमेस्टर
2.	मास्टर आफ सोशल वर्क (MSW)	2	प्रथम सेमेस्टर
	कला में स्नातक हेतु अर्हता पाठ्यक्रम (BAPP)	1	छः माह
	कुल विद्यार्थी	7	

1-वर्ष 2013-14 के लिए (summer Session)

क्रम सं०	पाठ्यक्रम का नाम	विद्यार्थियों की सं०	वर्ष / सेमेस्टर
1.	मास्टर आफ सोशल वर्क (MSW)	4	चतुर्थ सेमेस्टर
2.	मास्टर आफ सोशल वर्क (MSW)	2	द्वितीय सेमेस्टर
3.	एम०ए० हिन्दी	2	द्वितीय वर्ष
4.	एम०ए० इतिहास	1	द्वितीय वर्ष
5.	एम० ए० सस्कृत	1	द्वितीय वर्ष
6.	एम० ए० राजनीति विज्ञान	1	प्रथम वर्ष
7.	एम० ए० राजनीति विज्ञान	1	द्वितीय वर्ष
8.	एम०ए० शिक्षाशास्त्र	2	प्रथम वर्ष
9.	एम०ए० शिक्षाशास्त्र	2	द्वितीय वर्ष
10.	एम०ए० अंग्रेजी	2	प्रथम वर्ष
11.	एम०ए० अंग्रेजी	2	द्वितीय वर्ष
12.	बी०ए०एस० इतिहास	—	—
13.	बी०ए०	7	प्रथम वर्ष
14.	बी०ए०	7	द्वितीय वर्ष
15.	बी०कॉम	3	प्रथम वर्ष
16.	एम०कॉम	2	प्रथम वर्ष
17.	कला में स्नातक हेतु अर्हता पाठ्यक्रम (BAPP)	—	—
18.	बी०ए०एस० सस्कृत	2	द्वितीय वर्ष
	कुल विद्यार्थी	41	

अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार सभी छात्र-छात्राओं की प्रत्येक शनिवार व रविवार को अध्ययन केन्द्र के काउन्सलरों द्वारा क्लासेस चलायी जाती है जिससे छात्र-छात्राओं को अपने विषय को सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। तथा अध्ययन केन्द्र द्वारा समय समय पर छात्र-छात्राओं को सत्रीय कार्य, परीक्षा फार्म, प्रवेश प्रत्र, परीक्षा सारणी, अन्य अध्ययन सम्बन्धित कार्य के विषय में अवगत कराया जाता है जिससे छात्र-छात्राओं का किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। तथा समय समय पर संस्था के कार्यकर्ताओं शिक्षा के प्रति गांव गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा चालाये जा रहे पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्णता व पाठ्यक्रमों भविष्य में किस प्रकार लाभदायक हो सकते हैं आदि बिन्दुओं पर जागरूकता बढ़ायी जाती है।

मुर्गी पालन परियोजना

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी टि0 ग0 द्वारा मार्च 2011 से जनपद टिहरी के ब्लाक थौलधार मे सेवा टी0एच0डी0सी0 के माध्यम से मुर्गी पालन परियोजना चलाई जा रही है जिसमे निम्न गतिविधियां सम्पादित की गईं।

ग्राम सभाओं की बैठक व लाभार्थियों का चयन

संस्था द्वारा थौलधार ब्लाक मे प्रथम चरण मे 19 गांव, द्वितीय चरण मे 20 गांव, तृतीय चरण मे 32 गांव, चतुर्थ चरण मे 27 गांव मे ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा की बैठके की गई जिसमे प्रथम चरण मे 30 लाभार्थियों का चुनाव किया गया, द्वितीय चरण मे 33 लाभार्थियों का चुनाव किया गया, तृतीय चरण मे 53 लाभार्थियों का चुनाव किया गया और चतुर्थ चरण मे 43 लाभार्थियों का चुनाव किया गया जिसमे कुल मिलाकर 159 यूनिटें खोल दी गई हैं जिसमे कि लाभार्थियों का विवरण निम्न है।



प्रथम चरण के लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	पट्टी
1	मुस्तफा बेगम	मो० लुकमान	अलेरु	जुवा
2	रणवीर सिंह	अषाढ सिंह	अलेरु	जुवा
3	मंगल सिंह	विजय सिंह	कलेथ	जुवा
4	अशुरफी देवी	शिव दास	बेरगणी	जुवा
5	शीला देवी	राजेश	बेरगणी	जुवा
6	सोहन लाल	चतरु लाल	नकोट	जुवा
7	मकानी देवी	फूल दास	सेमवालगांव	जुवा
8	दर्शन लाल	छछरु लाल	उजाड़गांव	जुवा
9	सुरेन्द्र सिंह	बलवीर सिंह	उजाड़गांव	जुवा
10	गम्भीर सिंह	इन्द्र सिंह	सेलुर	जुवा
11	भरत सिंह	करण सिंह	इच्छोनी	जुवा
12	जय सिंह	बादर सिंह	इच्छोनी	जुवा
13	रमेश लाल	बिसम्भर लाल	भैंसकोटी	जुवा
14	रुप सिंह	घूरक सिंह	सांकरी	जुवा
15	गम्भीर सिंह	बचन सिंह	कमान्द	जुवा
16	सूरत सिंह	मगन सिंह	कैन्छु	जुवा
17	सुन्दर लाल	इन्द्रमणी	बमराड़ी	जुवा
18	नत्थी सिंह	मोर सिंह	मंजोली	जुवा
19	उत्तम सिंह	रुप सिंह	मंजोली	जुवा
20	गब्बर सिंह	खेम सिंह	सुनारगांव	गुसाईं
21	गोबर सिंह	हरि सिंह	ल्वार्खा	जुवा
22	विजय सिंह	जीत सिंह	ल्वार्खा	जुवा
23	नत्थी लाल	भुरिया लाल	तिखोन	जुवा
24	राकेश दास	शेर दास	तिखोन	जुवा
25	कमाण सिंह	चन्दन सिंह	क्यूलागी	जुवा
26	उम्मेद सिंह	अमर सिंह	क्यूलागी	जुवा
27	जय सिंह	नारायण सिंह	बैलगांव	जुवा
28	यशवन्त सिंह	सूरत सिंह	उजाड़गांव	जुवा
29	अनुज नेगी	अनार सिंह	क्यूलागी	जुवा
30	रणवीर सिंह	गुलाब सिंह	क्यूलागी	जुवा

प्रत्येक यूनिटों का निरीक्षण करते हुये टीएचडीसी के अधिकारी व दिल्ली से आयी टीम



द्वितीय चरण के लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	पट्टी
1	ज्ञान सिंह	करण सिंह	मंजरुवालगांव	जुवा
2	गिरीश चन्द्र	प्रेम लाल	मंजरुवालगांव	जुवा
3	राकेश प्रसाद	जगदीश प्रसाद	पन्दोगी	जुवा
4	भजन सिंह	सब्ल सिंह	धमाड़ी	जुवा
5	विनीत खण्डूड़ी	मोहनलाल	धमाड़ी	जुवा
6	कुशला नन्द	चन्द्रमोहन	खमोली	जुवा
7	सुनील गुसाईं	भगवान सिंह	कन्डीसौड	गुसाईं
8	चतर सिंह	सौण सिंह	जसपुर	गुसाईं
9	उम्मेद सिंह	सुन्दर सिंह	क्यूलागी	जुवा
10	शकुन्तला देवी	बादर सिंह	कलेथ	जुवा
11	विकास नेगी	मोहन सिंह	सेलुर	जुवा
12	मकान सिंह	पदम सिंह	कन्डीसौड	गुसाईं
13	चिरंजी लाल	भगत राम	सेलुर	जुवा
14	केदार सिंह	मदन सिंह	सरोठ	नगुण

15	मनवीर सिंह	हुकम सिंह	बेरगणी	जुवा
16	बलवीर लाल	मंगलू लाल	तिखोन	जुवा
17	सुरेन्द्र सिंह	रुप सिंह	मंजोली	जुवा
18	सीता देवी	सत्ये सिंह	मंजोली	जुवा
19	रुप सिंह	घूरक सिंह	सांकरी	जुवा
20	होशियार सिंह	औतार सिंह	नकोट	जुवा
21	पूरण लाल	बेतालू लाल	उजाड़गांव	जुवा
22	सुशीला देवी	पसन्दी लाल	उजाड़गांव	जुवा
23	विजय सिंह	योगेन्द्र सिंह	बेरगणी	जुवा
24	कलम सिंह	हरि सिंह	ल्वार्खा	जुवा
25	कृपाल सिंह	सरोप सिंह	ल्वार्खा	जुवा
26	सुनील राणा	चतर सिंह	जसपुर	जुवा
27	जगत सागर	सोहन सिंह	नई टिहरी	सारजुला
28	राजू राज	फूल राज	नई टिहरी	सारजुला
29	इन्द्र दत्त	महेशा नन्द	रत्नो तल्ला	जुवा
30	विजेन्द्र सिंह	सावन सिंह	डाबरी	जुवा
31	सुषमा देवी	गुलाब सिंह	बेरगणी	जुवा
32	महावीर उनियाल	सच्चिदा नन्द	उनियालगांव	नगुण
33	कीर्ति दत्त	सच्चिदा नन्द	उनियालगांव	नगुण

तृतीय चरण के लाभार्थियों का विवरण

क.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	पट्टी
1	प्रेम लाल	कुन्दन लाल	डांग भ0	जुवा
2	बिजेन्द्र लाल	अषाढू लाल	डांग भ0	जुवा
3	अबल लाल	लुदरु लाल	भांगर	गुसाईं
4	बुद्धि लाल	मैन्दरु लाल	भांगर	गुसाईं
5	घनश्याम	मैन्दरु लाल	भांगर	गुसाईं
6	बांके लाल	रंकू दास	भांगर	गुसाईं
7	अतर सिंह	श्याम सिंह	कन्डारगांव	नगुण
8	पवन सिंह	गौर सिंह	कन्डारगांव	नगुण
9	हुकम सिंह	अमर सिंह	कुनेर	जुवा
10	राजेन्द्र प्रसाद	बैजराम	मंजकोट	नगुण
11	बिजेन्द्र प्रसाद	बैजराम	मंजकोट	नगुण
12	मूर्ति राम	सुन्दर लाल	नेरी	जुवा
13	शेर सिंह	मोर सिंह	नेरी	जुवा
14	गिरीश लाल	किशोरी लाल	इडियान	जुवा
15	ज्ञान सिंह	सूरत सिंह	इडियान	जुवा
16	विनोद सिंह	अब्बल सिंह	इडियान	जुवा

17	अतोल सिंह	खिम सिंह	कस्तल	नगुण
18	बचन सिंह	गुमान सिंह	कस्तल	नगुण
19	अजबदास	गुड दास	बंस्यूल	नगुण
20	ध्यान सिंह	भौपाल सिंह	लवाणी	नगुण
21	प्रेम सिंह	शेर सिंह	लवाणी	नगुण
22	राजेन्द्र सिंह	सुन्दर सिंह	किरगणी	जुवा
23	अवतार सिंह	जय सिंह	किरगणी	जुवा
24	उत्तम सिंह	सोबन सिंह	किरगणी	जुवा
25	गुलाब सिंह	कमल सिंह	किरगणी	जुवा
26	जीत सिंह	सत्य सिंह	किरगणी	जुवा
27	लक्ष्मण सिंह	झाबर सिंह	किरगणी	जुवा
28	दुर्गा प्रसाद	पदम दत्त	किरगणी	जुवा
29	राजेन्द्र सिंह	बेताल सिंह	किरगणी	जुवा
30	बैशाख सिंह	उम्मेद सिंह	किरगणी	जुवा
31	अजय खण्डूडी	मोहन लाल	धमाड़ी	जुवा
32	राकेश दास	शेर दास	तिखोन	जुवा
33	सोहन लाल	चतरु लाल	नकोट	जुवा
34	रुप सिंह	रवि सिंह	कैन्छु	जुवा
35	भरत लाल	कात्कू लाल	जसपुर	गुसाईं
36	प्रवीन राणा	चतर सिंह	जसपुर	गुसाईं
37	जयवीर लाल	भरत लाल	जसपुर	गुसाईं
38	सुमन चन्द	बद्रीचन्द	रमोलगांव	गुसाईं
39	मस्त राम	प्रेम लाल	खांड	गुसाईं
40	रतन लाल	ऐतवारु लाल	खांड	गुसाईं
41	अब्बल लाल	घ्यात्तू राम	खांड	गुसाईं
42	प्रेम दास	भाग दास	बेरगणी	जुवा
43	कमल सिंह	मदन सिंह	बेरगणी	जुवा
44	मुनीषा बेगम	मो० उमरान	अलेरु	जुवा
45	दिनेश चन्द्र	रोशन लाल	सेलुर	जुवा
46	सत्य लाल	मंगीथू मिस्त्री	सेलुर	जुवा
47	जितेन्द्र सिंह	अतर सिंह	नैलबागी	जुवा
48	संजय सिंह	चन्दन सिंह	नैलबागी	जुवा
49	सुनीता देवी	राजेश रतूडी	रत्वाडी	जुवा
50	बीना देवी	नत्थी सिंह	मंजोली	जुवा
51	मोहन सिंह	चन्दन सिंह	ल्वार्खा	जुवा
52	बलवीर सिंह	भौपाल सिंह	इच्छोनी	जुवा
53	रणवीर सिंह	छोटा सिंह	कैन्छु	जुवा



लाभार्थी अपनी मुर्गियों के साथ

चतुर्थ चरण के लाभार्थियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	पट्टी
1	श्री धनपाल सिंह	श्री पूरण सिंह	किरगणी	जुवा
2	श्रीमती अनीतादेवी	„ सुरेन्द्र सिंह	कुनेर	जुवा
3	श्री मूर्तिराम	„ महेन्द्रू	नकोट नौली	जुवा
4	„ कमलू	„ झडू	नकोट नौली	जुवा
5	„ कृपाल सिंह	„ मातबर सिंह	इच्छोनी	जुवा
6	„ करण सिंह	„ भादू सिंह	भेटी	नगुण
7	„ सुन्दर सिंह	„ मंगल सिंह	भेटी	नगुण
8	„ नत्थी सिंह	„ धूम सिंह	सरोठ	गुसाईं
9	„ बिजपाल सिंह	„ श्यामचन्द	विकोल	नगुण
10	„ गोपाल सिंह	„ चतर सिंह	विकोल	नगुण
11	श्रीमती असमादेवी	„ अब्बल सिंह	कस्तल	नगुण
12	श्री सूरज सिंह	„ बचन सिंह	कस्तल	नगुण
13	„ मुकेश प्रसाद	„ प्रेमलाल	मंजरुवाल गांव	जुवा

14	.. रविन्द्र प्रसाद	.. राकेश प्रसाद	पन्दोगी	जुवा
15	.. राजेश प्रसाद	.. जगदीश प्रसाद	पन्दोगी	जुवा
16	.. आजाद सिंह	.. इन्द्र सिंह	नेरी	जुवा
17	.. हिम्मत सिंह	.. जगत सिंह	रत्नोगाड	जुवा
18	.. मदन सिंह	.. बचन सिंह	जसपुर	गुसाईं
19	.. कमल नयन	.. सिताबू	जौलगी	जुवा
20	.. दिनेश सेमवाल	.. सुन्दर लाल	सेमवालगांव	जुवा
21	श्रीमती विनीतादेवी	.. उत्तम सिंह	मंजोली	जुवा
22	श्री विनोद प्रसाद	.. प्रेम लाल	मुजरुवाल गांव	जुवा
23	.. ज्योति लाल	.. भादू लाल	सांकरी	जुवा
24	.. चन्दन सिंह	.. श्रीचन्द्र सिंह	तल्ला उप्पू	जुवा
25	.. उम्मेद सिंह	.. शिव सिंह	तल्ला उप्पू	जुवा
26	.. कृपाल सिंह	.. सुन्दर सिंह	तल्ला उप्पू	जुवा
27	.. विजय सिंह	.. पीरथ सिंह	सौड़ उप्पू	जुवा
28	.. कृपाल सिंह	.. जबर सिंह	सौड़ उप्पू	जुवा
29	.. धीरज लाल	.. नत्थी लाल	सौड़ उप्पू	जुवा
30	.. विनोद राणा	.. हुकम सिंह	तल्ला उप्पू	जुवा
31	.. कुशाल सिंह	.. भाग सिंह	भल्डियाना	जुवा
32	श्रीमतीदेवकीरावत	.. कुशाल सिंह	भल्डियाना	जुवा
33	श्री विनोद कुमार	.. छोटा कुमार	तानगला	जुवा
34	श्रीमती कृष्णा देवी	.. कृपाल सिंह	किरगणी	जुवा
35	श्री विरेन्द्र सिंह	.. पूर्ण सिंह	किरगणी	जुवा
36	.. देवेन्द्र सिंह	.. अतर सिंह	नैलबागी	जुवा
37	.. अतर सिंह	.. फिंचर सिंह	नैलबागी	जुवा
38	.. रामानन्द	.. हरिशरण	बंस्यूल	नगुण
39	.. ध्यान सिंह	.. करण सिंह	घियाकोटी	नगुण
40	.. दिवान सिंह	.. भवान सिंह	विन्दालकोटी	नगुण
41	.. नत्थीलाल	.. बदामू	कन्डारगांव	नगुण
42	.. चिरंजीलाल	.. बदामू	कन्डारगांव	नगुण
43	.. संदीप सिंह	.. उम्मेद सिंह	जसपुर	गुसाईं

प्रशिक्षण कार्यक्रम

संस्था द्वारा मुर्गी पालन परियोजना के अर्न्तगत सभी चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पशुपालन विभाग के डा0 जी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया लाभार्थियों को मुर्गियों के रखरखाव व समय-समय पर होने वाले रोगों के बारे में बताया गया तथा ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार के प्रति जागरुक किया गया।

दिनांक	प्रशिक्षण स्थल
09 / 11 / 2011	रामगढ, ब्लाक थौलधार
10 / 11 / 2011	कमान्द, ब्लाक थौलधार
29 / 03 / 2012	कमान्द, ब्लाक थौलधार



प्रशिक्षणों में उपस्थित लाभार्थी

लाभार्थियों को देय सामाग्री

सामाग्री	सामाग्री की संख्या
1- चूजे	100
2- फीड चारा	100 किग्रा.
3- जाली 6+4	1
4- फीडरस व ड्रिंकर	2+2
5- दवाईयां	प्रति माह आवश्यकतानुसार

नोट:- 2 माह से 6 माह तक प्रत्येक माह प्रत्येक यूनिट को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर फीड उपलब्ध कराया जा रहा है।



लाभार्थियों के द्वारा उत्पादित देशी अण्डे स्थानीय मार्केट की शोभा बढ़ाते हुये

चूजों का रिस्कवर

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी टि0 ग0 द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 7 दिन का रिस्कवर दिया गया है जिसमे लाभार्थी को 7 दिन तक जितने भी चूजों की मृत्यु होती है तो उनकी क्षतिपूर्ति संस्था द्वारा की जायेगी तथा 7 दिन के बाद यदि अगर लाभार्थी की लापरवाही से चूजों को नुकसान पहुंचता है तो लाभार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

प्रति माह निरीक्षण एवं डा0 विजिट

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा मुर्गी पालन की प्रत्येक यूनिट (159) का निरीक्षण किया जाता है तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से सेवा टीएचडीसी को भेज दिया जाता है जिसमे डा0 जी द्वारा प्रति माह प्रत्येक यूनिट की जांच स्वयं की जाती है तथा मुर्गियों से सम्बन्धित बिमारियों का उपचार तथा दवाईया बाटी जाती है जिससे लाभार्थी को असुविधा का सामना करना न पड़े ।

लाभार्थियों के द्वारा मुर्गी पालन से उत्पादित देशी अण्डे



मुर्गी पालन करने से लाभ

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा सभी चरणों में खोली गई यूनिटों में लाभार्थियों को अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है जिससे लाभार्थियों में मुर्गी पालन के प्रति उत्साह दिख रहा है प्रत्येक यूनिट से लाभार्थी अण्डे तथा मुर्गे का मांस बेचकर अपनी आजीविका चला रहे हैं ।

सफलता की कहानी

मुर्गी पालन की ओर बढ़ते कदम

परिचय:- ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति राड्स रानीचौरी टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड, द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण, विकलांग व्यक्तियों की सहायता, आजीविका संवर्धन व स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु विगत वर्ष 1999 से कार्य किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न परियोजनाओं से राज्य के निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों तथा गरीब काशतकारों को लाभान्वित किया है। विकास खण्ड थौलधार में संस्था सेवा टीएचडीसी के साथ मिलकर मार्च 2011 से मुर्गी पालन परियोजना चला रही है जिसमें आज तक 64 गांवों से 159 परिवार जुड़े हुये हैं

आवश्यकता:- थौलधार ब्लाक एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है एवं कृषि के क्षेत्र में वर्षा पर निर्भर है यहां पर जरूरत का सामान स्थानीय बाजारों के न होने के कारण मुख्य बाजारों से दूरी इतनी बढ़ गई है कि खाने पीने व अन्य वस्तुओं के लिए कम से कम 50 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है तथा मांस व अण्डे का मिलना यहां पर मुश्किल है जिसके लिए देहरादून व ऋषिकेश के बनियों के उपर निर्भर रहना पड़ता है

प्रक्रिया:- संस्था द्वारा ब्लाक थौलधार के गांवों में प्रधान जी की अध्यक्षता में खुली बैठक करवाई गई जिसमें मुर्गी पालन करने वाले व्यक्तियों के नाम लिए गये तथा उनको पशुचिकित्सक के द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया गया और उसके बाद उनको 100 चूजे, 6/4 जाली, फीडरस व ड्रिंकर, छः माह का चारा 12 बैग व पानी की टंकी 300 ली० इत्यादि सामान निशुल्क दिया गया।

परियोजना का हस्तक्षेप:- ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति द्वारा चार चरणों में यह परियोजना चलाई गयी प्रथम चरण में 30 यूनिट, द्वितीय चरण में 33 यूनिट, तृतीय चरण में 53 यूनिट, चतुर्थ चरण में 43 यूनिट खोली गई। इन लाभार्थियों में से ही संस्था द्वारा पांच कलस्टर बनाये गये जो कि मैण्डखाल, कन्डीसौड, कमान्द, उप्पू, किरगणी में स्थित हैं और इन्हीं में से एक फैंडरेशन बनाया गया जिसका कि स्वायत्त सहकारिता के अधीन रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया है

मुख्य चुनौतियां:- थौलधार ब्लाक में दूरस्थ गांवों के होने के कारण लोगों में आपस में मेल भाव नहीं होता है जिससे कि वे एक दूसरे से परिचित नहीं हैं गांव का इलाका होने की वजह से काफी पैदल मार्ग तय करने पड़ते हैं पहले चरण में जब लाभार्थियों को चूजे दिये गये थे तो टीएचडीसी का नाम सुनते ही गांव में लोगों ने सोचा कि सरकार की परियोजना है इसलिए फ्री में दिया जा रहा है जबकि संस्था का टीएचडीसी के साथ MOU हो रखा है कि यूनिट तब तक सही नहीं मानी जाती है जब तक वह 2 वर्ष तक अच्छे ढंग से लाभार्थी द्वारा नहीं चलाई जाती है तथा उसके पास 100 मुर्गियों में से 100 मुर्गियां नहीं पाई जाती हैं शुरू में लोगों के द्वारा एक दो माह चलाने के पश्चात मुर्गियां बेच दी गईं व संस्था के पूछने पर बताया गया कि मुर्गियां मर गई हैं या बिल्ली खा गई हैं।

लाभ:- लाभार्थियों के द्वारा जब यह बात समझी गई कि परियोजना को सही ढंग से चलाने से ही हमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है तब द्वितीय चरण में गिरीश चन्द्र व राकेश प्रसाद ग्राम कमःश मंजरवालगांव व पन्दोगी द्वारा मुर्गियों की अच्छी परवरिश की गई तथा आज उन्हीं से अण्डे तथा मांस बेचकर तकरीबन 10,000 रु० प्रतिमाह कमा रहे हैं उनका कहना है कि इस व्यवसाय को निरन्तर चलाया जाय तथा एक रोजगार के रूप में अपनाया जाय।

निष्कर्ष:- तृतीय चरण मे जब संस्था द्वारा देखा गया कि गांवों से लोगों का रुझान मुर्गी पालन की तरफ जादा हो गया है तथा लोगों के द्वारा प्रधान की तरफ से प्रस्ताव भेजकर कहा गया कि गांव के और लोग भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो संस्था द्वारा फिर उसी प्रक्रिया से लाभार्थियों का चुनाव कर प्रशिक्षण दिलवाया गया तथा चूजे व सारा सामान लाभार्थी को उपलब्ध करवाया गया जिससे कि कायलर मुर्गी पालन व्यवसाय को बढावा दिया जा सके जिसका परिणाम यह हुआ कि आज लगभग ब्लाक थौलधार के गांवों मे 159 परिवार मुर्गी पालन कर रहे हैं तथा अपनी आजीविका चला रहें हैं।

सीख:- लाभार्थियों मे गिरीश चन्द्र-मंजरुवालगांव, राकेश प्रसाद-पन्दोगी, दिवान सिंह-विन्दालकोटी, ध्यान सिंह-लवाणी, प्रेम सिंह-लवाणी, अतोल सिंह-कस्तल, रामानन्द-बंस्यूल, गम्भीर सिंह-कमान्द, मूर्तिराम-नेरी, धीरज लाल-उप्पू, उम्मेद सिंह-उप्पू, कुशाल सिंह-भल्लियाना, धनपाल सिंह-किरगणी, बैशाख सिंह-किरगणी, कमल सिंह-बेरगणी, केदार सिंह-सरोठ, अतोल सिंह-कस्तल, उत्तम सिंह-मंजोली आदि लोगों के प्रयास को देखते हुये अन्य लोगों मे भी मुर्गी पालन के प्रति जागरूकता आ गई है बाजारों मे कायलर के अण्डे तथा मांस बहुत बेहतरीन तरीके से लोग खरीद रहे है क्योंकि इनका मांस, रंग व अण्डा देशी मुर्गी की तरह होता है इन लाभार्थियों का कहना है कि सभी लोग भी अगर मुर्गी पालन करें तो भी इससे कोई फर्क नही पड़ता है क्योंकि यहां पर डिमांड बहुत है व सभी लोग रोजगार शुरू करने के लिए स्वतंत्र हैं

संदेश:- इस प्रकार इन लाभार्थियों के द्वारा यह कर दिखाया कि जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी व्यवसाय को शुरू करने हेतु पहल कर दें उसको देखते हुए अन्य लोग भी उसकी ओर आकर्षित होते हैं व जो लोग कल तक परियोजना के प्रति गलत अफवाह फैलाते है तथा खुद तो कुछ कार्य नही करते हैं दूसरों पर भी दोषारोपण करते है वे ही लोग हमारी तारीफ करते है इसके लिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति राड्स रानीचौरी तथा सेवा टीएचडीसी का धन्यवाद करते हैं।

कुबेर परियोजना (बकरी पालन)

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से ब्लाक प्रताप नगर के 30 गांवों मे बकरी पालन परियोजना चलाई जा रही है जिसमे संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक गांव मे ग्रामवासियों से मिलकर एक स्वयं सहायता समूह का गठन करके पदाधिकारियों का चुनाव कर मासिक बचत के रुप मे 10, 20, 50 रु0की धनराशि इकट्ठी कर बैंक मे खाता खुलवाया गया जिससे कि समूह के प्रत्येक सदस्य को बचत करने की इच्छा जागृत हो तथा समूह के माध्यम से गांव के असामाजिक तत्वों को दूर करना व स्वरोजगार को बढावा देना ही संस्था का मुख्य उदेश्य है।



समूह की महिलायें बकरियों के साथ

30 स्वयं सहायता समूहों का विवरण

क्र.सं.	समूहों का नाम	ग्राम	बैंक जिसमे खाता खुला है
1	नगराजा राड्स स्वयं सहायता समूह	भैन्त	मिनी बैंक रायमेर
2	नगराजा राड्स स्वयं सहायता समूह	नैप्पड़	मिनी बैंक रायमेर
3	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	सारी	जिला सहकारी बैंक रायमेर
4	जाख राड्स स्वयं सहायता समूह	न्यूगांव	मिनी बैंक रायमेर
5	नन्दू राड्स स्वयं सहायता समूह	हुल्डियाण	मिनी बैंक रायमेर
6	नगराजा राड्स स्वयं सहायता समूह	पोखरियालगांव	मिनी बैंक रायमेर
7	जाख राड्स स्वयं सहायता समूह	उडरी	मिनी बैंक रायमेर
8	मटियाल राड्स स्वयं सहायता समूह	मट्टी	मिनी बैंक रायमेर
9	जाख राड्स स्वयं सहायता समूह	ढुंग	भा0 स्टे0 बैंक धौन्तरी
10	मां गौरी राड्स स्वयं सहायता समूह	दिखोली	भा0 स्टे0 बैंक धौन्तरी
11	ओणेश्वर महादेव राड्स स्वयं सहायता समूह	देवल	मिनी बैंक माजफ
12	गढदेवी राड्स स्वयं सहायता समूह	गढ भेटियारा	भा0 स्टे0 बैंक धौन्तरी
13	तामेश्वर राड्स स्वयं सहायता समूह	सौड़	भा0 स्टे0 बैंक धौन्तरी
14	नचिकेता राड्स स्वयं सहायता समूह	सौन्दी	जिला सहकारी बैंक लम्बगांव
15	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	लोदाड़ा	भा0 स्टे0 बैंक धौन्तरी
16	नागराजा राड्स स्वयं सहायता समूह	रैका	जिला सहकारी बैंक लम्बगांव
17	दुर्गा राड्स स्वयं सहायता समूह	महरगांव	जिला सहकारी बैंक लम्बगांव
18	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	गरवाणगांव	जिला सहकारी बैंक लम्बगांव
19	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	बडकोट	जिला सहकारी बैंक लम्बगांव
20	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	धनेटी	जिला सहकारी बैंक रायमेर
21	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	बडेथ	मिनी बैंक रायमेर
22	माँ दुर्गा राड्स स्वयं सहायता समूह	डांगी	मिनी बैंक खम्बाखाल
23	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	खुरमोला	मिनी बैंक खम्बाखाल

24	लाल सिंह देवता राड्स स्वयं सहायता समूह	दीनगांव	मिनी बैंक ओनालगांव
25	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	हेरवालगांव	मिनी बैंक ओनालगांव
26	मूंगा देवी राड्स स्वयं सहायता समूह	बिजपुर	जिला सहकारी बैंक लम्बगांव
27	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	बैल्डोगी	जिला सहकारी बैंक लम्बगांव
28	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	मोहल्या	जिला सहकारी बैंक लम्बगांव
29	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	कोर्दी	जिला सहकारी बैंक लम्बगांव
30	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	भरपूर	जिला सहकारी बैंक लम्बगांव

समूहों का प्रगति विवरण

ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी टि0 ग0 के द्वारा कुबेर परियोजना के अर्न्तगत 30 समूहों का विधिवत गठन करके उनके साथ बकरी पालन परियोजना को सुनिश्चित ढंग से चलाने के लिए तैयार किया गया तथा समूह के साथ निम्न गतिविधियां सम्पन्न की गई ।

1- मासिक बैठक- सभी गठित स्वयं सहायता समूहों की एक माह में दो बैठकें होती हैं जिन बैठकों में कार्यकर्ता हर माह शामिल होते हैं उसके बाद समूह को प्रशिक्षण देकर कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ही बैठक की जाती है तथा दूसरी बैठक समूह खुद कर रहे हैं।

2- आय व्यय- समूह सदस्यों के द्वारा मासिक बचत एवं आन्तरिक ऋण का लेनदेन बैठकों में हो रहा है नये समूह को अपने आय व्यय के प्रति जागरूक किया जा रहा है सभी समूह खुद अपना आय-व्यय का हिसाब बैठक में समूह सदस्यों के साथ कर रहे हैं तथा आन्तरिक ऋण का हिसाब, मूलधन व ब्याज को छुद्र बैंक में जमा कर रहे हैं।

4- बकरी पालन की जानकारी - समूह सदस्यों को बकरी पालन की पूर्ण जानकारी दी जाने एवं उनकी देखभाल करने हेतु संस्था के द्वारा बकरी पालन का प्रशिक्षण राजकीय पशु चिकित्सालय रायमेर के तत्वाधीन में दिया गया जिसमें चिकित्सक द्वारा समूह को बकरी पालन की तमाम जानकारी एवं उसमें होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में जानकारी एवं उसका घरेलू उपचार व चिकित्सीय ईलाज की जानकारी दी साथ ही गाय, भैंस, बैल, मुर्गी आदि को होने वाली आम बिमारियों की भी जानकारी देकर दवाईया वितरित की। जिसे कि समूह सदस्यों में जानवरों के प्रति सहानुभूति दिख रही थी और उन्हें बिमारी होने पर पशु चिकित्सक से परामर्श ले रहे थे।

5- साफ-सफाई - मासिक बैठकों में समूह सदस्यों के साथ साफ-सफाई पर अधिक जोर दिया जाता है यहां आज 30 समूहों में से 20 समूह अपने गांव की व घर के आस पास की सफाई कर रहे हैं जिसमें परिवार व मुहल्ले के लोग शामिल हैं

6- सामाजिक मुद्दों पर चर्चा – समूह के साथ बैठक में सामाजिक मुद्दों पर भी विस्तारित रूप से जानकारी दी जा रही है तथा उन्हें जागरुकता प्रदान की जा रही है जैसे दहेज प्रथा का विरोध, कन्या भ्रूण हत्या, शराब छुड़ाने आदि के बारे में विभिन्न जानकारी दी जा रही है। इसके साथ-साथ अन्य प्रमुख मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपर्युक्त बिन्दुओं के अलावा समूह के साथ संस्था एवं टी0 एच0 डी0 सी0 भी कई प्रमुख कार्य कर रही है। जैसे संस्था द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा विकलांग कैम्प का आयोजन किया जाता है जिसमें कान की मशीन, बैशाखी, व्हीलचियर, एवं हाथ की छड़ी निशुल्क दी जाती है तथा टीएचडीसी के द्वारा भी क्षेत्र में 5 शैक्षिक प्रतियोगितायें सम्पन्न की गयी हैं। इस तरह समूह के सदस्यों में पहले से अधिक सजगता एवं जागरुकता दिख रही है तथा जागरुकता एवं समाज के कल्याण हेतु इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में आयोजित किए जाने होंगे जिससे कि एक सभ्य एवं सुशिक्षित जागरुक समाज की कल्पना की जा सके।

समूह की महिलायें बकरियों के साथ



निम्न समूहों को बकरियां वितरित की गईं तथा बकरियों से उत्पन्न बच्चे

क्र.सं.	समूह का नाम	ग्राम	बकरियां जो दी गईं	बकरियों से उत्पन्न बच्चे
1	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	बुड़कोट	12+2	13

2	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	बैल्डोगी	12+2	07
3	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	लोदाड़ा	12+2	07
4	गढ़ देवी राड्स स्वयं सहायता समूह	गढ़ भेटियारा	12+2	07
5	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	खुरमोला	12+2	15
6	लाल सिंह देवता राड्स समूह	दीन गांव	12+2	12
7	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	हेरवाल गांव	12+2	15
8	जाख राड्स स्वयं सहायता समूह	न्यू गांव	12+2	09
9	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	कोरदी	12+2	08
10	जाख राड्स स्वयं सहायता समूह	ढुंग	12+2	12
11	जय मां दुर्गा राड्स समूह	महरगांव	12+2	08
12	नागराजा राड्स स्वयं सहायता समूह	रैका	12+2	06
13	मां गौरी राड्स स्वयं सहायता समूह	दिखोली	12+2	06
14	नाचिकेता राड्स स्वयं सहायता समूह	सौन्दी	12+2	06
15	दुर्गा राड्स स्वयं सहायता समूह	डांगी	12+2	06
16	दुर्गा राड्स स्वयं सहायता समूह	धनेटी	12+2	05
17	नागराजा राड्स स्वयं सहायता समूह	पोखरियालगांव	12+2	06
18	रघुनाथ राड्स स्वयं सहायता समूह	कुड़ी	12+2	---
19	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	ओनालगांव	12+2	---
20	गढदेवी राड्स स्वयं सहायता समूह	मोहल्या I	12+2	---
21	नागराजा राड्स स्वयं सहायता समूह	किमखेत	12+2	03
22	नर सिंह राड्स स्वयं सहायता समूह	मोहल्या II	12+2	---
23	जय किसान राड्स स्वयं सहायता समूह	भड़कोट	12+2	---
24	दैत राजा राड्स स्वयं सहायता समूह	न्यू सारी	12+2	---
25	भैरव राड्स स्वयं सहायता समूह	गरवाणगांव	12+2	---
26	घण्डियाल राड्स स्वयं सहायता समूह	मतसारी	12+2	---
27	लक्ष्मी राड्स स्वयं सहायता समूह	चौंढियाणगांव	12+2	01
28	श्याम राड्स स्वयं सहायता समूह	कमध	12+2	---
29	कोटेश्वर राड्स स्वयं सहायता समूह	पुजारगांव	12+2	---

जिला विकलांग एवं पुर्नवास केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी, जिला अस्पताल बौराड़ी मे जिला विकलांग एवं पुर्नवास केन्द्र का संचालन कर रही है समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकलांगों के पुर्नवास आदि कार्यो हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसके पदेन अध्यक्ष माननीय जिलाधिकारी महोदय, उपाध्यक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय व नोडल अधिकारी अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति को बनाया गया है व जिला समाज कल्याण अधिकारी व रेडक्रास समिति इसके सदस्य हैं संस्था के पास विकलांग केन्द्र के संचालन हेतु पी. एण्ड ओ. ई., मोबिलिटी इरंडक्टर,

हियरिंग विशेषज्ञ, मनोवैज्ञानिक अध्यापक, तकनीकी प्रशिक्षक लेखाकार व सहायक हैं इस वर्ष जिला विकलांग केन्द्र के माध्यम से निम्न कार्य किए गये हैं।

1- Therapeutic Services Delivered Excluding Surgeries Perfoemed-

sl- no-	Category	No. of Beneficiary
1	Thopaccdically Handicapped	276
2	Mentally Handicapped	118
3	Visully Handicapped	179
4	Hearing Handicapped	652
5	Multiple Handicapped	134
	Total-	1359

2- Training Related Activities- No. of Persons Trained

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	Anganwadi Worker	36
2	ANM	08
3	Teachers	48
4	Nurses	03
5	Any Other	-
	Total	95

3- Awareness Generation Indicate the Number of visit/Programmes.

Sl. No.	Category	No. of Beneficiary
1	Preparation and face distribution of writtin material in local language	413
2	Radio Talk	04
3	T.V. Coverage through Local Network	02

4	Publication of articals in Print Media	12
5	Meeting with parents of disabled children	32
6	Meeting with Parents of Non- disebled children	120
7	Visit to school and addressing teachers Principal and student	420
8	Self Hefl groups	72
9	Others	-
	Total	2173



संस्था द्वारा विकलांग बच्चे को व्हील चियर प्रदान करते हुये

Sl.No.	Category	No. of Beneficiary
1	Self Employed	06
2	Employed in Govt. /Pvt. Sector	16
3	Provided disability detrtificate/concession	-
4	Admission in Regular School	10

1- Board Activities

Sl.No.	Category	No. of Beneficiary
1	No. of Villages surveyed	64
2	Assessment camps (Through camp approach)	23
3	Follow up camps (Through camp approach)	07
4	NO. of Meetings of the DMT	06
5	Any other- please specify	-
	Total	527

विकलांगों हेतु एडिप योजना

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा भारत सरकार की एडिप परियोजना के अर्न्तगत कार्य किया जा रहा है जिसका उद्देश्य निम्न है।

- 1- विकलांगों को निःशुल्क उपकरणों का वितरण।
- 2- विकलांगों को उपकरणों हेतु सहायता देने वाले विभागों की जानकारी देना।

विकलांग व्यक्ति को डा0 की मदत से पैर लगाया गया





संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी, टिहरी गढ़वाल को भारत सरकार के सामाजिक न्याय व आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा विगत दो वर्ष से कोई सहायता नहीं दी गई थी लेकिन वर्तमान वर्ष में वित्तीय सहायता दी गई जिससे संस्था द्वारा निम्न सामग्री का वितरण किया गया।

क्र०सं०	वितरित सामान	संख्या
1-	व्हील चेयर	22
2-	ट्राई साइकिल	12
3-	कान की मशीन	413
4-	छड़ी	128
5-	कृत्रिम पैर व हाथ	38
6-	नजर के चश्मे	1256

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम



कार्यक्रम के अर्न्तगत गांव की महिलायें साफ सफाई करती हुयी

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी टि0 ग0 द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न ग्रामों में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता रहा है प्रत्येक गांव के प्रत्येक परिवार व गांव के समूहों तथा सभी लोगों के साथ मिलकर सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाता है जिसमें कि प्रत्येक नागरिक को यह समझाया जाता है कि स्वच्छता क्या है तथा अपने आसपास स्वच्छ वातावरण रहने से बिमारियां नहीं लगती है इस वर्ष 2013-14 में निम्न क्रियाकलाप सम्बन्धित कार्यक्रम को चलाने हेतु किए गये।

क्र0 स0	कार्यक्रम का नाम	संख्या
1.	रैलियों	06
2.	ग्रुप मीटिंग	32
3.	दीवार लेखन	65
6.	ग्राम स्वास्थ्य समितियों का फ़ैसिलिटेशन हेतु बैठक	04
7.	ग्राम स्वास्थ्य समितियों की बैठक	15
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बैठक	04
9.	स्वास्थ्य कैम्प	03

10	समुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण	01
11	ऑगनवाडी, एनम, एवं आषा कार्यक्रमों हेतु दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यशाला	02

रैलियों का आयोजन

आर० सी० एच० कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों, स्कूलों में रैलियों का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य, टीकाकरण, गर्भवती स्त्रियों को आयरन की गोलियाँ आदि के बारे में जागरूक करना था, जिससे कि ग्रामीण समुदाय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे साथ ही गर्भवती स्त्रियों का सही समय पर टीकाकरण हो सके जिससे कि माता के साथ-साथ बच्चा भी स्वस्थ रहे व मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। वर्ष 2013-14 में 06 रैलियों का आयोजन किया गया। रैलियों में स्कूली बच्चे, ग्रामीण समुदाय, ग्राम प्रधान आदि लोगों ने भाग लिया।

ग्रुप मीटिंग

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना के ग्रामों में बैठकों का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों को कौन-कौन से टीके लगते हैं गर्भवती स्त्री को आयरन की गोलियों के साथ ही टीकाकरण की जानकारी के साथ ही ओ०आर०एस० घोल के बारे में जानकारी दी गई कि आप अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं किस तरह से इसे पानी में घोलना चाहिए ओर०आर०एस० बच्चों का जीवन रक्षक घोल है। इसे पानी में मिलाकर बच्चों को देना चाहिए। उल्टी, पेचिस, दस्त आदि से बच्चों की रक्षा करता है। साथ-साथ ही गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई व बैठकों के माध्यम से पुरुष महिला नसबंदियों के बारे में जानकारी दी गई, ग्राम स्तर पर 32 बैठकों का आयोजन किया गया।

दीवार लेखन

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर 50 स्थानों पर दीवार लेखन का कार्य किया गया साथ ही मुख्य सड़क पर 15 स्थानों पर दीवार लेखन का कार्य किया गया जिसमें स्वास्थ्य सम्बन्धी नारे, जैसे दूसरे बच्चे में 3 वर्ष का अन्तर अवश्य रखें व गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल करें आदि नारे जनजागरूकता हेतु लिखे गये

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ग्राम स्वास्थ्य समितियों की बैठक

ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें समितियों को गाँव में जागरूकता हेतु कैसे कार्य किया जाना चाहिए, ग्राम स्वास्थ्य समितियों की बैठक में महिला, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ-साथ महिला पुरुष नसबंदी के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही गर्भवती महिलाओं को कौन-कौन से टीके लगने चाहिए, व किषोरियों व बच्चों व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की जानकारी दी गई, साथ ही ग्राम स्वास्थ्य समितियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया, ग्राम स्वास्थ्य समितियों की बैठक में ग्राम प्रधान, महिला मंगल दल क्षेत्र पंचायत आदि सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। वर्ष में 10 स्वास्थ्य समितियों की बैठकों का आयोजन किया गया,

बैठकों का आयोजन

प्रत्येक माह राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्य क्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यक्रम की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया जिसमें माह में क्या –क्या कार्य किये गये उस पर चर्चा की गई साथ ही अगले माह होने वाले कार्यक्रमों हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये।

स्वास्थ्य कैम्प

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कैम्पों का आयोजन किया गया जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक व एनम द्वारा बच्चों, महिलाओं, आदि का टीकाकरण किया गया साथ ही स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गई, कि गर्भवती महिलाओं को कौन –कौन से टीके लगाने चाहिए साथ ही बच्चों को ओ0आर0एस0 का घोल अवष्य पिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चों में पानी की कमी नहीं होती है साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही अगले बच्चे व पहले बच्चे के जन्म में 3 वर्ष का अंतर अवश्य होना चाहिए स्वास्थ्य कैम्प में निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया, स्वास्थ्य कैम्प में ग्रामीण महिलाओं बच्चों, ग्राम प्रधान आदि लोगों ने हिस्सा लिया।

मोबाइल क्लीनिक

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मोबाइल कैम्पों का आयोजन किया गया जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक व एनम द्वारा बच्चों, महिलाओं, आदि का टीकाकरण किया गया साथ ही स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गई, कि गर्भवती महिलाओं को कौन –कौन से टीके लगाने चाहिए साथ ही बच्चों को ओ0आर0एस0 का घोल अवष्य पिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चों में पानी की कमी नहीं होती है साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही गर्भनिरोधक गोलियों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही अगले बच्चे व पहले बच्चे के जन्म में 3 वर्ष का अंतर अवश्य होना चाहिए स्वास्थ्य कैम्प में निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया, स्वास्थ्य कैम्प में ग्रामीण महिलाओं बच्चों, ग्राम प्रधान आदि लोगों ने हिस्सा लिया। मोबाइल कैम्पों का आयोजन ग्राम स्तर पर किया गया जिसमें वाहन ले जाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच की गई वर्ष 2013.14 में 10 मोबाइल कैम्पों का आयोजन किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों को कार्यक्रम के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण स्थान बिनयखाल में दिया गया जिसमें श्रीमती कुम्भीबाला भट्ट व बिनोद मॅमगॉई द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण में बताया गया कि कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका क्या है व उनके द्वारा गाँव में कौन –2 से कार्य किया जाना है। विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई सर्वप्रथम बच्चों के टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई कि बच्चों को कौन –2 से टीके लगाने चाहिए गर्भवती माताओं को लगाने वाले टीकाकरण के साथ ही गर्भनिरोधक गोलियों, कण्डोम आदि के बारे में जानकारी दी गई व गर्भनिरोधक गोलियों का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। सम्पूर्ण जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दी गई।

ऑगनवाडी एनम, आशा कार्यकर्तियों के साथ दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत ऑगनवाडी एनम व आशा कार्यकर्तियों को को कार्यक्रम के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन स्थान बिनयखाल में किया गया जिसमें श्रीमती कुम्भीबाला भट्ट व बिनोद मॅमगॉई द्वारा आशा कार्यकर्तियों, एनम ऑगनवाडी कार्यकर्तियों द्वारा अपने – अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया गया साथ ही कार्यक्रम को बेहतर बनाने हेतु बेहतर तालमेल किस प्रकार से किये जा सकते हैं। व सम्बन्धित कार्यकर्तियों की उपरोक्त कार्यक्रम में क्या भूमिका है। कार्यशाला के दौरान बताया गया कि कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका क्या है व उनके द्वारा गाँव में कौन –2 से कार्य किया जाना है। विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई सर्वप्रथम बच्चों के टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई कि बच्चों को कौन –2 से टीके लगने चाहिए गर्भवती माताओं को लगने वाले टीकाकरण के साथ ही गर्भनिरोधक गोलियों, कण्डोम आदि के बारे में जानकारी दी गई व गर्भनिरोधक गोलियों का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए। सम्पूर्ण जानकारी व अनुभवों का आदान प्रदान कार्यशाला के माध्यम से दी गई

उपरोक्त कार्यशाला में ऑगनवाडी, एनम, आशा कार्यकर्तियों का कहना था कि उपरोक्त कार्यशाला से हमें काफी जानकारी मिली है व कार्यक्रम को बेहतर बनाने में हमारी भूमिका क्या है उसकी जानकारी मिली है हम सब मिलकर कार्यक्रम को बेहतर बना सकते हैं, जो कि आने वाले समय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हेतु मील का पत्थर साबित होंगे।

राडस प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन

राडस प्रशिक्षण केन्द्र संस्था द्वारा निर्मित किया गया है, जहाँ पर समय – समय पर विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता रहा है, वर्तमान में भी संस्था द्वारा विभिन्न विभागों के प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया यहाँ पर संस्था के पास विभिन्न प्रशिक्षण हेतु कुशल रिसोर्स पर्सन उपलब्ध है तथा 100 लोगों तक की खाने व रहने की व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध है।



राडस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण देते संस्थाध्यक्ष

स्वजल परियोजना सेक्टर कार्यक्रम

संस्था के द्वारा उत्तराखण्ड जल संस्थान के सहयोग से निम्न ग्रामों में पेयजल लाइन का कार्य किया गया।

1. दनौली,
2. नन्दगॉव

जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई स्वजल परियोजना के माध्यम से निम्न गॉवों में स्वजल परियोजना के माध्यम से कार्य किये गये।

1. खडीखाल
2. तिखोन
3. गुनोगी
4. पटूडी
5. गैड

उपरोक्त गॉवों में संस्था के द्वारा टैंक बनाकर गॉवों में पाईप लाइन बिछाकर पेयजल का कार्य किया गया जहाँ पर अब पूर्ण तरह पानी उपलब्ध है।

पर्वतीय बाल मंच कार्यक्रम

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा पर्वतीय बाल मंच के माध्यम से बाल अधिकारों व बाल शोषण के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर किया जाता रहा है जिससे कि बच्चों पर पड़ने वाले कुप्रभावों से अवगत कराया जाता रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सघ द्वारा

तीसरा अधिकार है विकास का

प्राप्त हैं ये अधिकार

जिसमे पढ़ना लिखना आये

जिन्हे जानते हैं हम

चौथा अधिकार है सहभागिता का

कहकर बाल अधिकार

जिसमे मिलकर साथ रहना आये

मुख्य रूप से हैं ये चार

चारों अधिकार महत्वपूर्ण है

आओ इनके बारे मे करतें है विचार

इनके अन्तर्गत अन्य अधिकार

पहला अधिकार है जीने का

अपने अधिकारो को हम जाने

जिसमे आतां जन्म लेना

किसी और की बात क्यों माने

दूसरा अधिकार है सुरक्षा का

जिसमे आये टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवार्यें

संस्था के कार्यकर्ता बच्चों को जानकारी देते हुए



ग्रामीण निर्मित केन्द्र

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार व हुडको के सहयोग स्थान नागणी में ग्रामीण निर्मित केन्द्र की स्थापना की गई है। ग्रामीण निर्मित केन्द्र के उद्देश्य निम्नवत् हैं:-

- 1- उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए भूकम्प विरोधी तकनीकी भवनों का निर्माण करना।
- 2- राजमिस्त्रियों को समय-समय पर उच्च तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- 3- हॉलोब्लाक ईटों का निर्माण करना।

ग्रामीण निर्मित केन्द्र के माध्यम से भूकम्परोधी तकनीकियों का विकास किया जा रहा है जिसमें अकुशल मिस्त्रियों को राजमिस्त्री के साथ -साथ भूकम्प विरोधी भवनों के निर्माण व बरसाती पानी का टैंक बनाने का प्रशिक्षण दिया गया ।



विकलांग कैम्प सेवा टीएचडीसी इण्डिया लि०

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, रानीचौरी द्वारा सेवा टी० एच० डी० सी० के माध्यम से विकलॉग कैम्पों का आयोजन किया गया। उत्तराखण्ड का जनपद टिहरी गढ़वाल में मानसिक व कान गला हेतु डाक्टर की व्यवस्था नहीं है जिस हेतु बाहर से विकलॉगों के प्रमाण – पत्र बनाने हेतु डाक्टर को बुलाना होता है इसलिये संस्था ने मानसिक व कान गला विकलॉगों हेतु कैम्प लगाने हेतु टी० एच० डी० सी० से सहयोग लिया व टिहरी जनपद के प्रत्येक ब्लॉक हेतु कैम्पों का आयोजन किया गया प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को मानसिक व कान गला के रोगियों की निःशुल्क जाँच की जाती है व साथ ही दवाइयों भी वितरित की गईं, व विकलॉग प्रमाण-पत्र बनाये गये विकलॉगों को निम्न सुविधायें उपलब्ध कराई गईं।

- मानसिक विकलॉगों हेतु ब्लॉक मुख्यालय से आने जाने की व्यवस्था।
- मानसिक विकलॉगों हेतु कैम्प के बारे में प्रचार प्रसार करना।
- मानसिक विकलॉग हेतु साइक्लोजिस्ट व हियरिंग एक्सपर्ट व मस्तिष्क एवं मनोरोग विशेषज्ञ व ईएनटी की उपलब्धता।

जनपद में आने वाले मानसिक व कान गला के रोगियों की रहने व भोजन की व्यवस्था। विकलॉगों हेतु भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा चलाये जा रही योजनाओं की प्रति आने वाले विकलॉगों को उपलब्ध कराना।

उपरोक्त कैम्पों के आयोजन से विकलॉगों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध हुईं मानसिक विकलॉगों व कान गला रोगियों को पहले प्रमाण पत्र बनाने हेतु अन्य स्थानों पर जाना होता था लेकिन इन कैम्पों के आयोजन से उनको यह सुविधायें नजदीक ही उपलब्ध हुई हैं।



माननीय विधायक नरेन्द्रनगर श्री सुबोध उनियाल जी, जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल श्री रजीत कुमार सिन्हा जी व सेवा टी0एच0डी0सी0 प्रबन्धक श्री अमरद्वीप जी के द्वारा टाईसाईकिल, व्हील चियर का वितरण

निःशुल्क विकलॉग विश्राम गृह की स्थापना

टिहरी जनपद का मुख्यालय नई टिहरी में स्थित है व अधिकतर सरकारी विभागों के मुख्यालय नई टिहरी में स्थित है, व विकलॉगजनों को अपने कार्य हेतु नई टिहरी आना होता है जिसमें कि उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना होता है व रुकने हेतु पैसे इत्यादि देने होते हैं। संस्था ने यह बात जिला प्रशासन के समक्ष रखी व महसूस किया, व जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इसमें अपनी सहमति दी व जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिला विकलॉग एवं पुर्नवास केन्द्र, बौराडी में 10 बैड बिस्तर आदि उपलब्ध कराये गये जहाँ पर विकलॉगजन जब दूर दराज से आते हैं तो उनके रुकने हेतु मुफ्त व्यवस्था जिला विकलॉग एवं पुर्नवास केन्द्र बौराडी में उपलब्ध है।

हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या कार्यक्रम

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी टि0 ग0 द्वारा महिला हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या आदि सामाजिक समस्याओं पर समय समय पर बैठको का आयोजन, जागरूकता रैली, आदि कार्यक्रम चलाये जाते हैं संस्था द्वारा महिला हिंसा कार्यक्रम के अर्न्तगत घरेलू हिंसा घर के अन्दर, नातेदारी या पारिवारिक रिश्तों में होने वाला ऐसा व्यवहार है जिससे किसी को शारीरिक, मानसिक, यौनिक या आर्थिक रूप से नुकसान

पहुंचता है ज्यादातर महिलाये या बच्चे ही ऐसी हिंसाओं क शिकार होते है। तथा संस्था द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों मे निम्नलिखित बिन्दुओ पर चर्चा या जानकारी प्रदान की जाती है।



शारीरिक हिंसा	मारपीट, थप्पड़ मारना, ठोकर मारना, दांत से काटना, लात मारना,
यौनिक हिंसा	बलात्कार, अश्लील साहित्य या अन्य सामग्री देखने के लिये मजबूर करना, पीड़ित का उपयोग दूसरों के मनोरंजन के लिये करना, यौनिक दुर्व्यवहार
मौखिक हिंसा और भावात्मक हिंसा	कलंक लगाना/बुराई करना/मजाक उड़ाना, दहेज आदि के लिये अपमानित करना, बच्चा/बेटा न होने का ताना देना, शिक्षा में अवरोध डालना, नौकरी करने से रोकना/बाहर जाने से रोकना, किसी व्यक्ति से शादी करने या न करने का दबाव डालना, या अन्य।
आर्थिक हिंसा	खाना, कपड़ा, दवाई आदि का खर्च न देना या उनका उपयोग न करने देना, घर का किराया न देना/ घर में न रहने नौकरी न करने देना/वेतन या मजबूरी छीन लेना, बिना पूछे स्त्रीधन या अन्य कीमती वस्तु को बेच देना,बिलों का भुगतान न करना, या अन्य

समाज में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित भ्रांतियाँ एवं सच्चाई

भ्रांति – घरेलू हिंसा केवल तभी होती है जब पति पत्नी का पीटता है।

सच्चाई –घरेलू हिंसा में हमेशा शारीरिक हिंसा ही नहीं होती, यह सम्भाषण बोलकर द्वारा, मनोभावों के द्वारा और/अथवा आर्थिक रूप से भी होती है । और यह केवल पति द्वारा ही नहीं वरन् एक नातेदारी में रह रही किसी भी महिला या 18 वर्ष से कम उम्र की लडकियों व लडकों पर किसी भी तरह की हिंसा करना घरेलू हिंसा माना जाएगा।

भ्रांति – घरेलू हिंसा एक व्यक्तिगत मामला है।

सच्चाई – घरेलू हिंसा एक व्यक्तिगत मामला नहीं बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है क्योंकि यह महिलाओं के मानवाधिकार का हनन है जिनमें हम सभी का हस्तक्षेप जरूरी है। इसे व्यक्तिगत कहकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

भ्रांति – किसी महिला या बच्चे को एक थप्पड़ मारना हिंसा नहीं है।

सच्चाई – हिंसा की मात्रा मापी नहीं जा सकती है, चाहे वह कम हो या ज्यादा। हिंसा किसी भी तरह से सही नहीं ठहराई जा सकती, चाहे वह एक थप्पड़ ही क्यों न हो।

भ्रांति – एक पिता का बेटा का उसकी भलाई के लिए मारना/धमकाना हिंसा नहीं है।

सच्चाई – किसी के भी द्वारा किसी भी रूप में की गई हिंसा गलत है क्योंकि मारते आप उसी को हैं जो प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है।

भ्रांति – एक पुरुष एक महिला के साथ केवल तनाव या शराब के नशे में ही हिंसा करता है।

सच्चाई – हिंसा करने वाले अपने द्वारा की गई हिंसा के लिए बहुत से बहाने जैसे, शराब का नशा या तनाव/दबाव इत्यादि, गढ़ते हैं, जबकि हिंसा तभी होती है जब घरेलू हिंसा करने वाले पुरुष को पता होता है कि सामने वाली महिला पर उसकी सत्ता चल सकती है।

भ्रांति – एक पति अपनी तंग करने/झगड़ने वाली या शिकायत करने वाली पत्नी के प्रति ही हिंसक होता है।

सच्चाई – सम्बन्धों में चाहे कोई भी समस्या हों, हिंसा का प्रयोग कभी भी किसी भी स्थिति में न्याय संगत या स्वीकार्य नहीं होता है।

भ्रांति – घरेलू हिंसा अनपढ़ या गरीब महिलाओं के साथ ही साथ ही होती है।

सच्चाई – घरेलू हिंसा के सभी मामलों में लगातार यह पाया गया है कि यह सभी प्रकार के परिवारों में घटित होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति, कार्य व्यवसाय, क्षेत्र, धार्मिक मान्यताओं, शिक्षा के स्तर या जाति का इस में कोई असर नहीं पड़ता।

भ्रांति – घर टूटने से सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं इसलिए महिला को किसी भी स्थिति में अपना घर नहीं टूटने देना चाहिए।

सच्चाई – यह एक बच्चे के लिए बहुत बुरी स्थिति होगी कि वह ऐसे वातावरण में पल रहा हो जहाँ घरेलू हिंसा का भय व्याप्त है।

भ्रांति – एक महिला पर एक महिला ही हिंसा करती है।

सच्चाई – यह पितृसत्तात्मक समाज की विचार धारा है जिसके अन्तर्गत पुरुषों द्वारा महिलाओं का इस्तमाल अपने उद्देश्य सिद्ध करने के लिये किया जाता रहा है।

भ्रांति – हिंसक प्रवृत्ति वाले पुरुष सामान्यतः मानसिक रूप से बीमार होते हैं।

सच्चाई – यह केवल हिंसा के कृत्य को न्यायसंगत बनाने और छिपाने के लिए दी जाने वाली दलील है।

भ्रांति—घरेलू हिंसा का मुद्दा पश्चिमी विचारधारा की देन है।

सच्चाई— हिंसा किसी क्षेत्र विशेष का हिस्सा नहीं होती है। हमारे देश में घरेलू हिंसा का अपना एक इतिहास रहा है। वर्षों से हम इसे नकारने की कोशिश करते आ रहे हैं। अब कानून के माध्यम से घरेलू हिंसा को पहचान कर उसके निवारण के लिए अनुकूल उपाए करने की कोशिश की गई है।

भ्रांति— यह पूरी तरह से पुरुष विरोधी कानून है और इसके जरिए पुरुषों को जेल हो रही है।

सच्चाई— यह एक हिंसा विरोधी कानून है जो कि हिंसा करने वाले पुरुषों से महिलाओं के हिंसा मुक्त जीवन जीने के अधिकार का संरक्षण करता है। उल्लेखनीय है कि यह एक दीवानी कानून है जिसमें हिंसा करने वाले व्यक्ति को जेल तभी हो सकती है जब संरक्षण आदेश का उल्लंघन करे।

भ्रांति — यह घर तोड़ू कानून है।

सच्चाई — घरेलू हिंसा कानून एक महिला के उसके घर में रहने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इस कानून की मदद से महिला को अपने ही घर में एक हिंसा मुक्त जीवन जीने का अधिकार मिलता है। यह विचारधारा गलत है कि इसा कानून का इस्तेमाल घर तोड़ने के लिए किया जा रहा है।

पीड़ित कौन

मां, बहन, बेटी, बहु, भाभी, पत्नी, दूसरी पत्नी, या अन्य महिला जो आरोपी के साथ घरेलू नातेदारी में रह रही हो या रह चुकी हो। इस कानून में बच्चों लड़के/लड़की की तरफ से शिकायत की जा सकती है।

आरोपी कौन

पिता, पुत्र, भाई, पति या कोई भी व्यस्क पुरुष जो पीड़ित के साथ घरेलू नातेदारी में रहता हो या रहता था।

यहाँ पर घरेलू नातेदारी का मतलब दो व्यक्तियों के बीच के ऐसे रिश्ते से है जो—

- खून के रिश्ते के कारण
- विवाह या विवाह समान रिश्ते के कारण
- दत्तक ग्रहण गोद के रिश्ते से
- संयुक्त परिवार के सदस्य के रिश्ते से साझा गृहस्थी में रहते थे या रह रहे हैं।

यहाँ साझा गृहस्थी से मतलब उस गृहस्थी से है जहाँ—

- पीड़ित आरोपी के साथ या अकेले या घरेलू नातेदारी में रहती है या रहती थी।
- उस घर के दोनों पीड़ित और आरोपी या कोई एक मालिक है।
- एस घर के दोनों काई एक किरायेदार है/थे।
- संयुक्त परिवार की गृहस्थी भी शामिल है जिसमें आरोपी सदस्य की हैसियत से रहता है।

इस कानून के अंतर्गत कौन शिकायत कर सकता है

- ऐसी कोई भी महिला या बच्चा जिसके साथ हिंसा हुई हो या
 - पीड़ित महिला या बच्चे की तरफ से कोई अन्य रिश्तेदार, जान पहचान वाला या पड़ोसी,
 - चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने वाला या डाक्टर,
- जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि किसी महिला या बच्चे के साथ घरेलू हिंसा का कोई कृत्य हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है।

शिकायत किससे कर सकते हैं

- नजदीकी संरक्षण अधिकारी, से या
 - सेवा प्रदाता/महिला संगठन से, या
 - नजदीकी थाने के पुलिस अधिकारी, से, या
 - मजिस्ट्रेट से
- घरेलू हिंसा होने की शिकायत कर सकते हैं।

शिकायत कहाँ कर सकते हैं

- जहाँ पीड़ित स्थाई या अस्थायी रूप से रहती है या काम करती है
- जहाँ वह व्यक्ति जिसने हिंसा की है/रहता है/या काम करता है
- जहाँ हिंसा की घटना घटी है

टिहरी जिले के विभिन्न ग्रामों में महिला मंगल दलों का पुर्न नियोजन

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास रानीचौरी टि० ग० द्वारा जिला टिहरी गढ़वाल के विभिन्न गांवों में महिला मंगल दलों का गठन करके बैठके करवाना तथा महिला मंगल दलों के द्वारा गांवों में फैले असामाजिक तत्वों को दूर करना है व प्रत्येक महिला मंगल दलों से महिलाओं से प्रतिमाह 10, 20, 50, ₹० इकठ्ठा करके महिला मंगल दल का खाता खुलवाकर मासिक बचत के रूप में बचत करने के लिए प्रोत्साहन करना तथा प्रत्येक माह महिला मंगल दलों की बैठक करवाकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना तथा समाज में फैली कुरतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना आदि। संस्था द्वारा विभिन्न गांवों में बनाये महिला मंगल दलों का विवरण निम्न हैं।

क्र.सं.	महिला मंगल दल	महिलाओं की संख्या
1	महिला मंगल दल साबली	45
2	महिला मंगल दल ढरसालगांव	34
3	महिला मंगल दल डोभालगांव	24

4	महिला मंगल दल पुरषोलगांव	30
5	महिला मंगल दल भेडुड़ी	19
6	महिला मंगल दल आराकोट	35
7	महिला मंगल दल पलास	22
8	महिला मंगल दल धारकोट	84
9	महिला मंगल दल जड़धारगांव	32
10	महिला मंगल दल डडांसली	30
11	महिला मंगल दल छोटा स्यूटा	35
12	महिला मंगल दल बड़ा स्यूटा	83
13	महिला मंगल दल जुगड़गांव	49
14	महिला मंगल दल थान	34

नावार्ड परियोजना (JLGs)

संस्था ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति राड्स रानीचौरी के द्वारा नवार्ड से मिलकर एक परियोजना फरवरी 2014 से चलाई जा रही है जिसमे ग्रामीण लोगो मे संयुक्त देयता समूहों का गठन कर उनको राष्ट्रियकृत बैंकों से लिंकेज करवाकर फाईनेन्स सुविधा मुहया करवा कर पशुपालन एवं जैविक कृषि को बढावा देने हेतु एक मजबूत कदम उठाया जा रहा है जिसमे गरीब ग्रामीणों जो कि पशु पालन तो करना चाहते है लेकिन पशु खरीदने के लिए धनराशि नही है ऐसे ही कई किसान उन्नत किस्म के बीजों से खेती करना चाहते हैं लेकिन बीज खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध नही करवा सकते हैं यह परियोजना उन कास्तकारों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है जिसमे संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 मे निम्न गतिविधियां सम्पादित की गई।

संस्था द्वारा 45 संयुक्त देयता समूहों का गठन किया गया है तथा 45 समूहों के खाते राष्ट्रियकृत बैंकों मे खोले गये हैं जिसमे से 2 समूहों को बैंक द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है जिनका विवरण निम्न है

STATEMENT 6 II (B)

Format for report towards formation and linkage of joint liability groups through DDM, NABARD

Report for Formation and Linkage of Joint liability Groups (JLGs)

sl. No.	Name of JLG/Number of Members	Date of Sanction of Bank Loan to JLG	Member wise Loan Sanctioned				
			Name of Member	Opening Date of Saving A/c	Loan A/C Number	Activity	Amount (Rs.)
1	Saral Joint liability	28-3-2014	1-Hari Prasad		344973	Animals	50,000.00
			2-Bijendra Singh		700000		50,000.00

	Groups jugadgawn T.G. Member - 4		3-Shishpal Pundir	26-2-2014	1	Hus bandry	50,000.00
			4-Sundar Singh				50,000.00
2	Uttrakhand JLGs Guldi Road Chamba T.G. Member - 4	28-3-2014	1-Dalbeer Singh	4-3-2014	344973 700000 2	Business	50,000.00
			2-Neeraj Singh				50,000.00
			3-Rakesh Saklani				50,000.00
			4-Raghuveer Singh				50,000.00

पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष के अंतर्गत पंचायत प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा वर्तमान में यह उत्तराखण्ड में टिहरी, चम्पावत व चमोली में चलाया जा रहा है पंचायती राज विभाग द्वारा हमें उपरोक्त कार्यक्रम टिहरी जनपद में ब्लॉक चम्बा व थौलदार में चलाने को कहा गया, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत राज का प्रशिक्षण दिया जाना था, हमारे द्वारा चम्बा व थौलदार ब्लॉक के निम्न पंचायत राज प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।



1. ब्लाक थौलदार, चम्बा, कीर्तिनगर, जौनपुर, प्रतापनगर, भिलंगना, जाखणीधार के ग्राम विकास अधिकारी।
2. चम्बा, नई टिहरी, नरेन्द्रनगर, देवप्रयाग के नगर पंचायत के सभासद।
3. ब्लाक थौलदार, चम्बा, कीर्तिनगर, तथा जौनपुर के समस्त प्रधान।
4. ब्लाक थौलदार, चम्बा, कीर्तिनगर, तथा जौनपुर, के गाँवों के सभी वार्ड सदस्य।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के प्रशिक्षण का विवरण

क्र. सं.	विकास खण्ड का नाम	प्रशिक्षण तिथी	प्रशिक्षण स्थल	रात्रि विश्राम
1	चम्बा	5/4/2013 से 7/4/2013	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति रानीचौरी
2	जाखणीधार	5/4/2013 से 7/4/2013		
3	थौलधार	5/4/2013 से 7/4/2013		
4	नरेन्द्रनगर	5/4/2013 से 7/4/2013		
5	प्रतापनगर	9/4/2013 से 11/4/2013		
6	भिलंगना	9/4/2013 से 11/4/2013		
7	देवप्रयाग	9/4/2013 से 11/4/2013		
8	कीर्तिनगर	9/4/2013 से 11/4/2013		
9	जौनपुर	9/4/2013 से 11/4/2013		

पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष के उद्देश्य व बुनियादी विशेषतायें

- 1- विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, व वित्तीय सहायता प्राप्त कराना।
- 2- स्थानीय आधारभूत ढाँचे और विकास सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं की ऐसी नाजुक कड़ियों को जोड़ना जो मौजूदा व्यवस्था से ठीक नहीं हो पा रही हैं
- 3- स्थानीय निकायों को नियोजन, क्रियान्वयन और योजनाओं की निगरानी में पेशेवर सहायता उपलब्ध कराना।
- 4- पंचायतों को सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में सुधार करना तथा अपर्याप्त स्थानीय क्षमता तथा सबको इनका फायदा दिलाने में विद्यमान कमियों को दूर करना।
- 5- इस योजना में सम्बन्धित जिले में चल रही विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय किया जाएगा।

पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि में वित्त पोषण दो प्रकार से होगा।

- É 250 करोड रूपये की धनराशी का उपयोग मूलतः नियोजन, क्रियान्वयन, लेखांकन और जबाबदेही तथा पारदर्शिता में सुधार की क्षमता जुटाने में किया जाएगा।
- É 3500 करोड रूपये का असंबद्ध अनुदान पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन राशियों का आबंटन पारदर्शी मानदण्डों के अनुसार होगा वे इसका उपयोग विकास की टूटी हुई महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने में करेंगे।

पंचायती राज का इतिहास

- पंचायती राज शब्द की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई
- राष्ट्रपिता महात्मागान्धी ने भी इसका पक्ष लिया व ग्राम स्वराज के बारे में सोचा कि गाँव अपनी सोच के अनुसार गाँव का विकास स्वयं करे।
- 1950- 60 के दौरान कुछ राज्यों ने इसी तर्ज पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।
- 1992 में 73 वॉ संविधान संशोधन पास हुआ लेकिन पूर्ण रूप 8 राज्यों में 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ।
- वर्तमान में 3 राज्यों नागालैंड मिजोरम मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायती राज लागू है।

अधिनियम 1992

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापित करने और उसे समुन्नत बनाने के लिए यह अधिनियम बनाया।

राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठायेगी और उनको ऐसी शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान करेगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।

73 वॉ व 74 वॉ संविधान एक नजर में।

- सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था।
- 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में दो स्तरीय पंचायत व्यवस्था (मध्यस्तरीय पंचायत का गठन नहीं)
- ग्राम सभा

त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था। तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ें वर्गों के व्यक्तियों के पदों में और महिलाओं के लिए स्थानों का चक्रानुक्रम में आरक्षण।

पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

- पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह एक क्रान्तिकारी कदम था।
- यह पंचायतीराज संस्थाओं हेतु आर्दश स्वरूप है।
 - 243 उ (243 छ). विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का बना रहना— इसी भाग में किसी बात के होते हुए भी संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी राज्य में प्रवृत्त पंचायतों से सम्बन्धित किसी विधि का कोई उपबंध जो इस भाग के उपबंधों से असंगत है, जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे संशोधित या निरसित नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा।
- Xयारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 छ) – 29 विषयों का हस्तान्तरण। (उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा मात्र 14 विषयों का हस्तान्तरण हुआ है परन्तु उसका भी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।)
- हम अपने पंचायतीराज अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन के अनुसार बदलाव नहीं ला पाये।

- वर्तमान पंचायतीराज अधिनियम तथा अन्य शासनादेशों के अनुसार व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु हमें आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है ।

कार्यकाल

प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 05 वर्ष । निर्वाचन कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व । विघटन की तारीख से छः माह से पूर्व निर्वाचन । विघटन के पश्चात् छः माह से कम समय रहने पर निर्वाचन आवश्यक नहीं अथवा विघटन / रिक्ति के कारण निर्वाचन पांच वर्षों की शेष अवधि के लिए मान्य । सदस्य / अध्यक्ष पद के लिए 21 वर्ष की आयु आवश्यक ।

पंचायत क्या है?

- आम जनता की शक्ति ;Power to the People)
- वास्तविक प्रजातन्त्र ;True Democracy)
- प्रजातन्त्र का मतलब प्रजा का, प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा शासन है । जब तक विकास कार्यों का दायित्व प्रजा को सौंप नहीं दिया जाता है तब तक प्रजातन्त्र का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है ।
- पंचायतीराज त्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा विकास कार्य (शासन)।

पंचायत की आवश्यकता क्यों है?

- प्रशासन (कार्यक्षेत्र) की छोटी इकाई जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन सही प्रकार से हो सके ।
- बढ़ते कार्यों / विभागों की संख्या – ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक कार्य / विभाग हेतु कर्मचारी रखा जाना असम्भव है ।
- पारदर्शिता तथा जनता की भागीदारी हेतु ।
- प्रजातन्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ।

ग्राम पंचायत के गठन हेतु मानक

500 तक की आबादी पर 5 सदस्य

501 से 1000 की आबादी पर 7 सदस्य

1001 से 2000 तक की आबादी पर 9

2001 से 3000 तक की आबादी पर 11

3001 से 5000 तक की आबादी पर 13

5000 से अधिक की आबादी पर 15

ग्राम पंचायत की समितियाँ

नियोजन एवं विकास समिति
शिक्षा समिति
स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
प्रशासनिक समिति
जल प्रबन्धन समिति
निगरानी समिति

जिलों को धनराशि के वितरण के मापदण्ड

- निश्चित धनराशि दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत बाकी बची 50 प्रतिशत राशि सभी पिछड़े जिलों की कुल आबादी में उस जिले की जनसंख्या के हिस्से के आधार पर की जाएगी।
- पेश 50 प्रतिशत राशि पिछड़े जिले प्रत्येक जिले को 10 करोड़ रुपये वार्षिक की एक न्यूनतम के कुल क्षेत्रफल में उस जिले के हिस्से के आधार पर किया जाएगा।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए नियोजन प्रक्रिया

- सम्बन्धित जिले के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत या नगरपालिका पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत एक इकाई होगी।
- प्रत्येक पंचायत या नगरपालिका द्वारा तैयार योजनाओं को जिला योजना में समन्वित किया जाएगा। यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुसार गठित जिला नियोजन समितियों द्वारा किया जाएगा।
- योजना आयोग के दिशा निर्देशों में की गई परिकल्पना के अनुसार जिला योजना बनाते समय उपेक्षित समूहों का पक्के तौर पर ध्यान रखना।
- जिला योजना में अनुसूचित जातियों – जनजातियों से संबंधित मुद्दों का पूरा – पूरा ध्यान रखा जाएगा।
प्रत्येक पंचायत और शहरी निकाय की योजना में एक अलग उपयोजना तैयार की जायेगी।

जिस क्षेत्र के लिये योजना तैयार की जा रही है उसके दायरे में रहने वाले अनुसूचित जातियों जनजातियों के लोगों के लाभ के कार्यक्रमों के लिये कम से कम उनकी जनसंख्या के आधार पर धन का आबंटन किया जायेगा।

जिन गाँवों में अनुसूचित जाति – जनजातियों की संख्या अधिक है वहाँ पर आँगनवाड़ी, स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिये।

संस्था द्वारा टिहरी जिले के विभिन्न गाँवों में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को समझाने के लिए व इससे जुड़ी सभी बातों को ग्रामीण लोगों को समझाने हेतु प्रशिक्षण

- लोक सूचना अधिकारी प्रधान, ग्राम पंचायत
- सहायक लोक सूचना अधिकारी – ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
- प्रथम अपीलीय अधिकारी – खण्ड विकास अधिकारी
- द्वितीय अपीलीय अधिकारी – राज्य सूचना आयोग
- किस प्रकार की सूचनायें
- अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, आदेश, नमूने, रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र (सर्कुलर) संविदा कागज़पत्र, लॉगबुक, मॉडल और आंकड़ों संबंधी सामग्री जो इलैक्टॉनिक रूप में है

तथा निजी निकायों से संबंधित ऐसी सूचना जो किसी लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी अन्य कानून के जरिये हासिल की जा सकती है ।



- | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| लोक सूचना अधिकारी | — | प्रधान, ग्राम पंचायत |
| ■ सहायक लोक सूचना अधिकारी | — | ग्राम पंचायत विकास अधिकारी |
| ■ प्रथम अपीलीय अधिकारी | — | खण्ड विकास अधिकारी |
| ■ द्वितीय अपीलीय अधिकारी | — | राज्य सूचना आयोग |
| ■ किस प्रकार की सूचनायें | | |

अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, आदेश, नमूने, रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र (सर्कुलर) संविदा कागजपत्र, लॉगबुक, मॉडल और आंकड़ों संबंधी सामग्री जो इलैक्टॉनिक रूप में है तथा निजी निकायों से संबंधित ऐसी सूचना जो किसी लोक प्राधिकरण द्वारा किसी भी अन्य कानून के जरिये हासिल की जा सकती है ।

- कैसा अधिकार
- निर्माण कार्य, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण का अधिकार
- दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पणी, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का अधिकार
- सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने का अधिकार
- सामग्री फलापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्टॉनिक रूप में या प्रिन्ट आउट के माध्यम से या कम्प्यूटर में भंडारित की गयी सूचना को प्राप्त करने का अधिकार

सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन

- अनुरोधकर्ता का विभिन्न विभागों अथवा विषयों की सूचनाओं के लिये पृथक-पृथक अनुरोध प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।
 - सूचना का अनुरोध प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिये ।
 - अक्षम व्यक्ति द्वारा सूचना का अनुरोध करने पर लोक सूचनाधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व बनता कि वह मौखिक अनुरोध को लिपिबद्ध कर प्रजीकृत करे ।
 - ई- मेल के माध्यम से भी अनुरोध किया जा सकता है ।
 - सूचना का अनुरोध पत्र प्राप्त करने पर पंजीकरण लोकप्राधिकारी के स्तर पर बाध्यकारी है ।
-
- अनुरोधकर्ता का विभिन्न विभागों अथवा विषयों की सूचनाओं के लिये पृथक-पृथक अनुरोध प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।
 - सूचना का अनुरोध प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिये ।
 - अक्षम व्यक्ति द्वारा सूचना का अनुरोध करने पर लोक सूचनाधिकारी/ सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व बनता कि वह मौखिक अनुरोध को लिपिबद्ध कर प्रजीकृत करे ।
 - ई- मेल के माध्यम से भी अनुरोध किया जा सकता है ।

- सूचना का अनुरोध पत्र प्राप्त करने पर पंजीकरण लोकप्राधिकारी के स्तर पर बाध्यकारी है ।

सूचना हेतु शुल्क

- आवेदन शुल्क दस रूपया राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जो नकद, डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर, मनीआर्डर व गैर न्यायायिक स्टाम्प पेपर, बैंकर चैक, ट्रेजरी चालान के रूप में जमा करेगा ।
- गरीबी रेखा के नीचे गुजरबसर करने वाले व्यक्तियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में निर्धारित फीस मांगी जा सकती है –
प्रति पृष्ठ (ए-4/ए-3) – 2 रूपये

सी.डी./फलापी – 50 रूपये

अभिलेखों का निरीक्षण – प्रथम 1 घण्टा निःशुल्क उसके उपरांत
प्रत्येक 15 मिनट हेतु 5 रूपये

मुद्रित सामग्री – वास्तविक मूल्य

सूचना हेतु निर्धारित अवधि

- सूचना के आवेदन की प्राप्ति के उपरान्त लोक सूचना अधिकारी या तो सूचना उपलब्ध करायेगा या विहित शुल्क के बारे में सूचना देगा या आवेदन अस्वीकृत किये जाने की कारण सहित सूचना देगा – 30 दिन के अन्दर ।
- यदि मांगी गयी सूचना व्यक्ति के जीवन एवं स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है तब तुरन्त उपलब्ध करायी जायेगी – 48 घण्टों के अन्दर
- यदि लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना को प्रकट करना चाहता है, जिसको तीसरा पक्ष गुप्त समझता है, तब लोक सूचना अधिकारी तीसरे पक्ष को अपनी आपत्ति रखने के लिये लिखित नोटिस द्वारा आमन्त्रित करेगा – 05 दिन के अन्दर ?
- सूचना का अनुरोध मिलने पर यदि लोक सूचना अधिकारी किसी ऐसे अभिलेख के ऐसे भाग की विषय वस्तु का खुलासा करने का निर्णय लेते हों जो जो किया तीसरे पक्ष (व्यक्ति या संगठन) से सम्बन्धित हों और उस व्यक्ति और संगठन द्वारा इस विष्वास पर लोक प्राधिकारी को दी गई है कि सूचना किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी का यह दाितीसरा पक्ष लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त नोटिस के बाद अपनी आपत्ति रखेगा – 10 दिनों के अन्दर

- यदि प्रार्थना पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी के पास जमा किया गया है – 30 दिनों के अतिरिक्त 5 दिन
- यदि प्रार्थना पत्र का विषय दूसरे संगठन/ विभाग से सम्बन्धित है – 30 दिनों के अतिरिक्त 5 दिन सरकारी सेवको की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियां अधिनियम के अंतर्गत सूचना के रूप में देने से छूट है।

तीसरे पक्ष से सम्बन्धित सूचना

सूचना का अनुरोध प्राप्त होने के 5 दिनों के अंदर सम्बन्धित तीसरे पक्ष को पत्र लिखकर या दूरभाष से इस की सूचना दे। आवेदनकर्ता के अनुरोध पर लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्ति की तिथि के 40 दिनों के अन्दर प्रकट करने या न करने का निर्णय ले सकते हैं। यदि सूचना का खुलासा करने से तीसरे पक्ष को होने वाली सम्भावित हानि से लोक हित कहीं अधिक साध्य होता है तो, ऐसी सूचना को प्रकट करने का निर्णय लिया जा सकता है।

समाप्त।

